भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1311

11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि अवसंरचना में कमियां

1311. श्री भारत सिंह कुशवाहः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में कृषि अवसंरचना में गंभीर कमियों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2024-25 के दौरान अनुमोदित कृषि अवसंरचना परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या कृषि भण्डारण सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिए कोई विशेष पहल शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2024 के दौरान कृषि अवसंरचना के लिए निजी क्षेत्र से कितना निवेश जुटाया गया है; और

(ङ) कृषि अवसंरचना के विकास के लिए आबंटित निधि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): सरकार ने हितधारकों के साथ मूल्यांकन और परामर्श के माध्यम से विभिन्न राज्यों में कृषि इन्फ्रास्ट्राक्चर में गंभीर कमियों की पहचान की है।देश में फसलोपरांत प्रबंधन के इन्फ्रास्ट्राक्चर में मौजूदा कमी को दूर करने के उद्देश्य से, फार्म गेट स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्राक्चर के निर्माण के माध्यम से देश में इन्फ्रास्ट्राक्चर को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष 2020-21 में कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) की प्रमुख स्कीम शुरू की गई थी, ताकि किसान अपनी कृषि उपज को ठीक से संग्रहित तथा संरक्षित कर फसलोपरांत नुकसान और बिचौलियों की संख्या में कमी के साथ उन्हें बेहतर कीमत पर बाजार में बेच सकें। गोदामों, कोल्ड स्टोर, छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयों, राईपनिंग चैंबर आदि जैसे बेहतर फसलोपरांत प्रबंधन के इन्फ्रास्ट्राक्चर से किसान सीधे उपभोक्ताओं के बड़े समूह को बेच सकेंगे और इस प्रकार, किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति में वृद्धि होगी। इससे किसानों की कुल आय में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, एआईएफ स्कीम का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देकर कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारकों को लाभान्वित करना है। कृषि अवसंरचना कोष के तहत, ऋण संस्थानों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये के ऋण के लिए प्रावधान किया गया है जिसमें ऋणों पर 9% का ब्याज सीमा है। यह स्कीम वर्ष 2020-21 से 2032-33 तक कार्यान्वित है।

इस वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत सभी ऋणों पर 2 करोड़ रुपए की ऋण सीमा तक 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज छूट मिलती है। यह ब्याज छूट अधिकतम 7 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध है। 2 करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों के मामले में, ब्याज छूट 2 करोड़ रुपए तक सीमित है। इस वित्तपोषण सुविधा से पात्र उधारकर्ताओं के लिए माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड

ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध है। इस कवरेज के लिए शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के विस्तार को मंजूरी दे दी है। मुख्य उपायों में पात्र गतिविधियों में प्राथमिक प्रसंस्करण के साथ एकीकृत द्वितीयक प्रसंस्करण परियोजनाएं और एआईएफ को पीएम-कुसुम घटक-ए के साथ एकीकृत करने सहित सभी पात्र लाभार्थियों के लिए व्यवहार्य सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों की अनुमति देना है। इसके अतिरिक्त, एफपीओ को ऋण गारंटी सहायता प्रदान करने की योजना में एनएबी संरक्षण को भी शामिल किया गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादन के कुल मूल्य के अनुपात के आधार पर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 1 लाख करोड़ रुपये की लक्षित ऋण राशि आवंटित की गई है।

(ख): वर्ष 2024-25 के दौरान दिनांक 26.01.2025 तक स्वीकृत एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की कुल संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.स.	**परियोजना के प्रकार**	**स्वीकृत संख्या**	**स्वीकृत राशि**
1	प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र	5,871	5,027
2	गोदाम	2,195	2,373
3	कोल्ड स्टोर और कोल्ड चेन	558	2,165
4	कस्टम हायरिंग सेंटर	10,090	1,474
5	छंटाई और ग्रेडिंग इकाई	721	559
6	साइलो	22	354
7	जैविक इनपुट उत्पादन	127	286
8	समग्र परियोजना	99	220
9	स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर	453	83
10	लॉजिस्टिक्स सुविधा	182	73
11	जैव उत्तेजक उत्पादन इकाइयाँ	23	175
12	पैकेजिंग इकाइयाँ	88	15
13	राईपनिंग चैंबर	24	14
14	फसलों के समूहों के लिए आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना	48	29
15	वैक्सिंग पौधे	1	1
16	फसलों के निर्यात समूहों के लिए आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना	2	3
17	अन्य	11,739	4,014
	कुल योग	32,243	16,862

(ग) से (ड.): मौजूदा इन्फ्रास्ट्राक्चर की कमियों को दूर करने और आधुनिकीकरण एवं कृषि भंडारण सुविधाओं सहित कृषि इन्फ्रास्ट्राक्चर में निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों में 'कृषि अवसंरचना कोष', कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई), राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) स्कीम, समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) आदि शामिल हैं ।

दिनांक 26.1.2025 तक एआईएफ के तहत 92393 परियोजनाओं के लिए 56334 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं । इन स्वीकृत परियोजनाओं से कृषि क्षेत्र में 91856 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया गया है। वर्ष 2024 के दौरान एआईएफ के तहत 28782 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया गया है।

एआईएफ के तहत स्वीकृत प्रमुख परियोजनाओं में 24,477 कस्टम हायरिंग सेंटर, 19,030 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, 14,727 गोदाम, 3,430 छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, 2,190 कोल्ड स्टोर परियोजनाएं, लगभग 28,539 अन्य प्रकार की फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाएं और व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियां शामिल हैं। एआईएफ योजना के तहत अब तक निर्मित गोदामों और कोल्ड स्टोरेज की संख्या का राज्यवार विवरण **अनुबंध-क में दिया गया है** और एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आवंटित धनराशि का राज्यवार विवरण **अनुबंध-ख में दिया गया है।**

अनुबंध-क

एआईएफ स्कीम के तहत अब तक निर्मित गोदामों और शीतगृहों की राज्यवार संख्या

1. एआईएफ के तहत कोल्ड स्टोर और कोल्ड चेन के लिए राज्यवार स्वीकृत ऋण

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत सं.	स्वीकृत राशि
1	उत्तर प्रदेश	648	1988
2	गुजरात	234	1121
3	महाराष्ट्र	235	706
4	पंजाब	206	443
5	मध्य प्रदेश	124	415
6	पश्चिम बंगाल	99	406
7	कर्नाटक	91	345
8	जम्मू और कश्मीर	14	244
9	आंध्र प्रदेश	50	216
10	छत्तीसगढ	62	168
11	हरियाणा	56	156
12	तेलंगाना	32	150
13	बिहार	36	148
14	राजस्थान	59	140
15	उत्तराखंड	22	83
16	तमिलनाडु	67	82
17	हिमाचल प्रदेश	36	80
18	केरल	46	48
19	झारखंड	25	38
20	ओडिशा	31	29
21	असम	8	26
22	चंडीगढ़	1	6
23	दिल्ली	3	3
24	गोवा	3	2
25	मणिपुर	2	0.4
	कुल योग	2190	7045

**जानकारी एआईएफ पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पर आधारित है।*

2. एआईएफ के तहत गोदामों के लिए राज्यवार स्वीकृत ऋण

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**स्वीकृत सं.**	**स्वीकृत राशि**
1	मध्य प्रदेश	4341	3999
2	महाराष्ट्र	1656	1550
3	कर्नाटक	1394	1343
4	तेलंगाना	694	769
5	उत्तर प्रदेश	1143	658
6	राजस्थान	656	643
7	आंध्र प्रदेश	636	543
8	गुजरात	570	516
9	हरियाणा	236	489
10	बिहार	515	482
11	तमिलनाडु	1399	419
12	छत्तीसगढ	364	353
13	ओडिशा	245	244
14	पश्चिम बंगाल	378	228
15	पंजाब	115	135
16	उत्तराखंड	109	123
17	केरल	101	118
18	असम	78	102
19	झारखंड	46	53
20	जम्मू और कश्मीर	14	16
21	हिमाचल प्रदेश	28	15
22	मेघालय	1	6
23	त्रिपुरा	2	4
24	दिल्ली	2	4
25	चंडीगढ़	1	2
26	पुदुचेरी	2	2
27	गोवा	1	1
	कुल योग	**14727**	**12814**

**जानकारी एआईएफ पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों पर आधारित है ।*

अनुबंध-ख

एआईएफ के अंतर्गत निधि के अनंतिम आवंटन का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है : -

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**आवंटन**
1	मध्य प्रदेश	7440
2	महाराष्ट्र	8460
3	उत्तर प्रदेश	12831
4	पंजाब	4713
5	गुजरात	7282
6	कर्नाटक	4525
7	राजस्थान	9015
8	तेलंगाना	3075
9	हरियाणा	3900
10	आंध्र प्रदेश	6540
11	तमिलनाडु	5990
12	पश्चिम बंगाल	7260
13	छत्तीसगढ	1990
14	ओडिशा	2500
15	बिहार	3980
16	केरल	2520
17	असम	2050
18	उत्तराखंड	785
19	झारखंड	1445
20	जम्मू एवं कश्मीर एवं लद्दाख	900
21	हिमाचल प्रदेश	925
22	गोवा	110
23	दिल्ली	102
24	त्रिपुरा	360
25	चंडीगढ़	9
26	मेघालय	190
27	अरुणाचल प्रदेश	290
28	नागालैंड	230
29	पुदुचेरी	48
30	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	10
31	मणिपुर	200
32	मिजोरम	196
33	सिक्किम	56
34	अंडमान एवं निकोबार	40
35	दमन और दीव	22
36	लक्षद्वीप	11
	कुल योग	**100000**

*****